सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 222/14 **निर्णय दिनांकः 04.05.2018**

1. नूरजमल पुत्र सादम खॉ जाति मुसलमान निवासी खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–01–1998
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 17–07–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

पूगल के चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 153/35 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ।

अदालत मातहत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है वह साधारण नोटिस है अथवा रजिस्टर्ड नोटिस कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। साधारण नोटिस है तो उस पर कोई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट नहीं है। अदालत मातहत की फर्द अहकाम में कहीं भी रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के आदेश नहीं दिये गये है। बिना आदेश यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते है तो ऐसे नोटिस की कानून में कोई अहमियत नहीं है। यदि रजिस्टर्ड नोटिस मान भी लिया जावे तो उसकी रसीद या एडी पत्रावली में कहीं उपलब्ध नहीं है। रजिस्टर्ड नोटिस के संबंध में नियम है कि आदेश 5 नियम 17 ता 19 सीपीसी में रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के पश्चात् 30 दिवस तक उसका इंतजार किया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात् ही उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है। यदि 30 दिन पूर्व कोई कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही तामील कानून व प्रावधानों के विपरीत है।

अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। सुनवाई का अवसर प्रदान न देकर अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्तों की अवहेलना की है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टातों में यह अभिलिखित व सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि विशेष आवंटन के लिए बिना कोई नोटिस दिये प्रार्थना पत्र एकपक्षीय खारिज किया गया है, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, आदेश अधिनस्थ न्यायालय का सेट असाईड किया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1994 पेज 215, आरआरटी 2014—15 स्पली. पेज 68, आरआरडी 1991 पेज 155, आरआरटी 2014—15 पेज 443, आरआरटी 2014 पेज 455, आरआरडी 2016 पेज 214 व आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—01—1998 के विरूद्व अपील 15—09—2014 को पेश की है। जो करीब 16 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निर्धारित राशि अर्थात 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—01—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक

15—09—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 7 के.एल.डी. के मुरब्बा नम्बर 153/35 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातमहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु व बकाया सबूत पेश करने हेतु नाोटिस जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के बाबत् 35 प्रतिशत राशि व बकाया सबूत पेश करें। अपीलांट द्वारा आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई ना ही वांछित सबूत प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 09—01—1998 को निरस्त कर दिया गया।

(3) अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई व ना ही वांछित सबूत अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन की दिनांक से 6 माह के भीतर—भीतर निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना अपरिहार्य है।

यदि निर्धारित अवधि अर्थात 6 माह के भीतर—भीतर निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ऐसे आवंटन स्वतः ही निरस्त माने जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसे विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है का कोई औच्तिय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण से आवंटन सलाहकार समिति

की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 09—01—1998 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर